न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 89/2024 FSSA

1.सरकार जरिये श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्यएवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

– आवेदक–

बनाम

1.श्री हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी मैसर्स–गिर्राज किराना स्टोर पता–मीणा दरवाजा भाण्डारेज, जिला–दौसा।

– अभियुक्त–

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति :खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

:अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित।

दिनांकः–17.02.2026

–::आदेश::–

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 29.04.2024 को दोपहर 02.15 बजे मैसर्स–गिर्राज किराना स्टोर पता– मीणा दरवाजा भाण्डारेज, जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर एक साफ सुथरी रैक में प्लास्टिक की थैली में लगभग 3 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जाँच हेतु 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) खरीदा। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीद शुदा 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डब्बो में बराबर–बराबर (500–500gm) डालकर डिब्बो को ढक्कन से बन्द कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनो पर चिपकाकर नमूनो को अलग–अलग एक खाकी कागज में लपेट कर नमूनों पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–4255 गोंद से चिपकाकर नमूनों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बॉधकर नमूनों को चार–चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर नमूनों पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 6 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ., विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द बोतल एक आउटर कवर में चपड़ी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द बोतल व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महेश कुमार सैनी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.2024 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

बोतल व फार्म न. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.04.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 30.04.2024 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाया। उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) का नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जाँच रिपोर्ट सं. LS / 1566 / Act / 2024 / 2154 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार This sample also Contravenes Regulation No-2-3-14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it sold in loose condition एफ.एस.एस.ए. के नियम नं. 2.3.14(15) के उल्लघन के कारण कान्ट्रावेन (Contravention) पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त उपस्थित हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) के नमूने की खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जाँच रिपोर्ट सं. LS / 1566 / Act / 2024 / 2154 दिनांक 07.06.2024 के अनुसार This sample also Contravenes Regulation No-2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it sold in loose condition स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने कान्ट्रॉवेन (Contravention) स्तर के खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा थोडी मात्रा में लाल मिर्च पाउडर विक्रय हेतु दुकान पर रखा हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने की जाँच हेतु 2 किलोग्राम खाद्य पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) खरीदा। जिसकी जांच करने पर मानक स्तर का पाया गया है। किन्तु उक्त पदार्थ लाल मिर्च पाउडर खुला विक्रय किये जाने के कारण यह परिवाद पेश किया गया है। प्रार्थी भविष्य में खुले मसाले का विक्रय नही करेगा। प्रार्थी की प्रथम गलती को माफ किया जाकर कम से कम जुर्माना लगाकर प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करें।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला राजस्थान जयपुर की जाँच रिपोर्ट सं. LS / 1566 / Act / 2024 / 2154 दिनांक 07.06.2024 में This sample also Contravenes Regulation No-2.3.14(15) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 because it sold in loose condition अंकित किया गया है। उक्त नमूना निर्धारित शुद्धता मानको के अनुरूप नहीं होने से एफएसएसए 2006 की धारा 26(2)(v) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 58 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulation, 2011 का उल्लंघन कर लाल मिर्च पाउडर खुला (RED CHILLI POWDER LOOSE) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी मैसर्स–गिर्राज किराना स्टोर पता–मीणा दरवाजा भाण्डारेज,

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

जिला–दौसा (राज0) पर 2,000/–रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अंप्रार्थी अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 17.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक: FSSA/26/ 41-43

दिनांक:– 17 .02.2026

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1.खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री हनुमान सहाय सैनी पुत्र श्री मूलचंद सैनी मैसर्स–गिर्राज किराना स्टोर पता–मीणा दरवाजा भाण्डारेज, जिला–दौसा।

17/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा